

सेवाओं की निर्यात (व्यापक जोखिम) पॉलिसी - क्या करें

● अधिकतम देयता:

सुनिश्चित करें कि किसी भी समय, सभी खरीदारों/बैंकों पर बकायों के लिए पॉलिसी के अंतर्गत पर्याप्त अधिकतम देयता उपलब्ध है।

● निबंधन और शर्तें:

- (क) सुनिश्चित करें कि पॉलिसी अवधि के दौरान पोतलदानों को संरक्षित करने के लिए हमेशा वैध है।
- (ख) सुनिश्चित करें कि पॉलिसी ऐसी कोई भी सेवाओं को अपवर्जित ना करें जिसे पॉलिसी के अंतर्गत शामिल किया जाना आवश्यक है।
- (ग) कोई संदेह हों तो कृपया ईसीजीसी कार्यालय में संपर्क करें जहाँ से सुरक्षा जारी की गई हों।

● इकनेक्टीवीटी:

पॉलिसीधारकों के लिए उपलब्ध ईसीजीसी के डेटाबेस से ऑनलाइन जुड़ने के लिए अपना ग्राहक आई डी व पासवर्ड प्राप्त करें।

● अग्रिम प्रीमियम:

आपके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि बीमा अधिनियम 1938 की शर्तों के अनुसार बीमाकृत जोखिम के प्रारंभ होने से पूर्व बीमाकर्ता को प्रीमियम प्राप्त होना चाहिए। ईसीजीसी अब इन प्रावधानों से बाध्य है कृपया सुनिश्चित करें कि रक्षा की वैधता के दौरान हर समय आप निम्नलिखित का अनुपालन करें:

- (क) पॉलिसी के साथ संलग्न अनुसूची I में विनिर्दिष्ट अनुसार परिकल्पित पण्यवर्त और भुगतान की शर्तों पर मासिक / तिमाही / वार्षिक आधार पर अग्रिम प्रीमियम भेजें।
- (ख) पोतलदान करने से पूर्व ईसीजीसी के जमा प्रीमियम खाते में पर्याप्त प्रीमियम की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- (ग) यदि वास्तविक निर्यात, परिकल्पित निर्यातों से अधिक है सुनिश्चित करें कि जमा प्रीमियम खाते में समुचित प्रीमियम जमा किया गया है ताकि पोतलदानों को संरक्षित किया जा सके।

● साख - सीमा:

कृपया नोट करें कि साख सीमा वह सीमा है जहाँ तक ईसीजीसी वाणिज्यिक जोखिम के कारण हुई हानि की स्थिति में दावे पर विचार करेगा।

(क) सुनिश्चित करें कि की जानेवाली सेवाओं को संरक्षित करने हेतु खरीदारों / बैंकों पर भुगतान की शर्तों संबंधी पर्याप्त साख सीमा उपलब्ध है।

(ख) सेवा प्रदान करने से पूर्व प्रतिबंधित रक्षावाले देशों के लिए विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करें।

● उन ग्राहकों की सूची जिनका ईसीजीसी को प्रतिकूल अनुभव है:

सेवा प्रदान करने से पूर्व सुनिश्चित करें कि ग्राहक का नाम उस सूची में नहीं है जिनका ईसीजीसी को प्रतिकूल अनुभव है और जो ईसीजीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

● सेवा/बीजकों की मासिक घोषणा:

प्रत्येक माह की 15 तारीख को या उसके पूर्व के माह के दौरान प्रदान की गई सेवाओं की घोषणा करते हुए मासिक पोतलदान घोषणा प्रस्तुत करें। यदि किसी माह के दौरान कोई पोतलदान नहीं किया गया है तो "शून्य" घोषणा प्रस्तुत करें।

● अतिदेय घोषणा:

पिछले माह के अंत तक 30 दिनों से अधिक समय से अतिदेय रहे भुगतानों की घोषणा करते हुए प्रत्येक माह की 15 तारीख को अथवा उससे पूर्व अतिदेय की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

● हानि कम करना:

पॉलिसी के अंतर्गत आने वाले बीजकों का भुगतान यदि देय तारीख को नहीं किया गया तो हानि को रोकने/कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ, जो मामले के तथ्य एवं परिस्थिती अनुरूप अलग होंगे। भुगतान करने के लिए खरीदार को समझाएँ, जब तक सभी अतिदेय भुगतान नहीं किए जाते तब तक आगे कोई सेवा प्रदान न करें जिससे खरीदार पर अधिक ऋण बढ़े। ईसीजीसी के पूर्व अनुमोदन से ऋण वसूलीकर्ता एजेंट को कार्य सौंप दें। खरीदार के देश में स्थित ऋण वसूली एजेंटों से सूची प्राप्त करने के लिए ईसीजीसी से संपर्क किया जा सकता है। अतिदेय भुगतानों की वसूली के लिए आवश्यक कानूनी / विवाचन उपाय करें और ईसीजीसी को विकास संबंधी सूचित करते रहें।

● दावा दाखिल करना:

दावे के अंतर्गत किए गए पोतलदान के लिए हानि अभिनिश्चित होने के उपरांत देय तारीख से किसी भी समय परंतु एक वर्ष के भीतर दावा दाखिल करें। यदि दावा दाखिल करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की जरूरत है तो दावा दाखिल करने में समय सीमा के विशिष्ट विस्तार हेतु इसका कारण बताते हुए ईसीजीसी से संपर्क करें।

वसूली कार्रवाई:

- (क) ऋण की वसूली के लिए तत्काल व प्रभावी कदम उठाना। कृपया खरीदार पर वसूली अधिकार बनाए रखें। समय पर की गई कार्रवाई से वसूली की संभावना बढ़ जाती है।
- (ख) यदि भुगतान न किए जाने का कारण, खरीदार का दिवालियापन है, कृपया आवश्यक जानकारी व दस्तावेजों के साथ सरकारी रिसीवर के पास अपना दावा दाखिल करें। कृपया सुनिश्चित करें कि दिवालिया की परिसंपत्ति पर दावा रिसीवर द्वारा स्वीकार किया गया है।
- (ग) ईसीजीसी के साथ वसूली की हिस्सेदारी उसी अनुपात में करना जिसमें ईसीजीसी द्वारा दावे का निपटान किया गया था।

सेवाओं की निर्यात (व्यापक जोखिम) पॉलिसी - क्या न करें

- ईसीजीसी के डेटाबेस से जुड़ने के लिए ग्राहक आई डी व पासवर्ड लेना न भूलें।
- अगले माह/तिमाही जैसा भी मामला हों, में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को संरक्षित करने हेतु देय प्रीमियम को ईसीजीसी के जमा प्रीमियम खाते में पर्याप्त प्रीमियम रखना न भूलें।
- सेवा/बीजकों की मासिक घोषणा प्रस्तुत करना न भूलें।
- मासिक घोषणाओं में पॉलिसी के अंतर्गत संरक्षित सभी सेवाओं/बीजक की घोषणा करना न भूलें।
- सेवा / बीजकों की घोषणा करते समय सेवा / बीजकों के मूल्य, भुगतान की शर्तों, देश आदि में कोई गलती न करें।
- खरीदार द्वारा किए गए ऑर्डर के अनुसार भुगतान की शर्तों पर पर्याप्त साख सीमा प्राप्त करना न भूलें।
- प्रतिबंधित रक्षा वाले देशों को पोतलदान के लिए निगम का विशिष्ट अनुमोदन लेना न भूलें।
- सेवा प्रदान करते समय, निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध ईसीजीसी के प्रतिकूल अनुभव वाले खरीदारों की सूची की जाँच करना न भूलें।
- पिछले माह के अंत तक 30 दिनों से अधिक समय तक अतिदेय रहे भुगतानों की घोषणा करते हुए प्रत्येक माह की 15 तारीख को या उसके पूर्व अतिदेय की रिपोर्ट प्रस्तुत करना न भूलें।

- भुगतान प्राप्त न होने या माल को स्वीकार न करने जैसा भी मामला हो, की स्थिति में खरीदार के देश में बिल को नोट व प्रसाक्षित करना न भूलें (जहाँ ऐसा संभव न हो, उसे छोड़कर)।
- ईसीजीसी द्वारा सूचित किए जाने पर वसूली हेतु ऋण एजेंट/ मध्यस्थ की नियुक्ति करना न भूलें।
- जब तक वह पहले के सभी अतिदेयों का भुगतान नहीं करता तब तक चूककर्ता खरीदार को आगे कोई भी सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव न करें जिससे खरीदार पर अधिक ऋण बढ़े।
- देय तिथि में विस्तार करने के लिए ईसीजीसी का पूर्व अनुमोदन लेना न भूलें।
- बकाया भुगतानों के संबंध में ईसीजीसी के पूर्व अनुमोदन के बिना खरीदार के साथ समझौता करार न करें।
- जब दावा दाखिल किया जाए, दावा फार्म में सूचीबद्ध दस्तावेज प्रस्तुत करना न भूलें। यदि कोई संदेह हो, स्पष्टिकरण के लिए ईसीजीसी से बेहिचक संपर्क करें।
- पॉलिसी के अंतर्गत नियत समय के भीतर दावा दाखिल करना न भूलें।
- खरीदार के विरुद्ध वसूली कार्रवाई करना व वसूली होने पर निगम के साथ वसूली की हिस्सेदारी करना न भूलें।



EXPORT OF SERVICES (COMPREHENSIVE RISKS) POLICY – DO'S

● MAXIMUM LIABILITY:

Ensure that the Maximum Liability of the policy is sufficient to cover the outstanding dues from all the buyers/banks at any given point of time.

● TERMS AND CONDITIONS:

- a. Ensure the validity of the policy period for covering the services.
- b. Ensure the policy does not exclude any services which are desired to be covered under the policy.
- c. In case of any doubt please contact ECGC office who has issued the cover.

● E-CONNECTIVITY

Obtain Customer ID and Password for on-line access to ECGC's database available for a policy holder.

● ADVANCE PREMIUM:

It is important for you to know that in terms of the Insurance Act 1938 an insurer should receive the premium before the commencement of risks insured. ECGC is now bound by these provisions please ensure that you comply with the following at all times during the validity of the cover:

- a. Remit advance premium on the projected turnover and terms of payment as specified in the Schedule-I attached to the policy either monthly/quarterly/annually.
- b. Ensure sufficient premium is available in the Deposit Premium Account before rendering services making shipment.
- c. In case the actual exports exceed the projected exports, ensure that due premium is deposited in the Deposit Premium Account so as to cover the services.

● CREDIT LIMIT:

Please note Credit Limit is the limit up to which ECGC would consider claim in the event of loss on account of commercial risks.

- a. Ensure that sufficient credit limit on relevant terms of payment is available on the buyers to cover the services rendered.

- b. Obtain specific approval to Restricted Cover Countries before services are rendered.

● LIST OF CUSTOMERS ON WHOM ECGC HAS HAD ADVERSE EXPERIENCE:

Ensure before rendering services that the customer's name is not appearing on the list of buyers on whom ECGC has had adverse experience which is available on its website.

● MONTHLY DECLARATION OF SERVICES /INVOICE;

Submit the monthly declaration on or before 15th of every month declaring the services rendered during the previous month. In case of no services have been rendered during the month submit a "NIL" declaration.

● OVERDUE DECLARATION:

Submit the report of overdue on or before 15th of every month, declaring the payments which are overdue for more than 30 days as at the end of previous month.

● LOSS MINIMISATION:

If the payment is not received on the due date for the invoices covered under the policy initiate suitable steps to prevent /minimize loss which will vary on the facts and circumstances of each case. Try to persuade the buyer to make payment, desist from offering any further services /increasing the credit to the buyer unless all the overdue payments are cleared. Hand over the transaction to a Debt Collection Agent with the prior approval of ECGC. ECGC could be contacted for the purpose of obtaining a list of Debt Collection Agents in buyer's country. Initiate necessary legal / arbitration measures for recovery of the overdue payments and keep ECGC informed of the developments.

● LODGEMENT OF CLAIM:

File the claim at any time after the loss is ascertained but in any case within one year from the due date of invoices under claim for services rendered. If further time is required for filing the claim, please approach ECGC for specific extension in time for the claim along with the reasons thereof.

● RECOVERY ACTION:

- a. Take prompt and effective steps for recovery of debt. Please maintain recourse against the buyer. Timely action ensures better recovery prospects.
- b. If non-payment is due to insolvency of the buyer please file the claim with the official receiver with necessary information and documents. Please ensure that the claim is acknowledged by the receiver of the insolvent's estate.
- c. In the event of recovery share the recovery with ECGC in the same ratio in which the claim has been settled by ECGC.

EXPORT OF SERVICES (COMPREHENSIVE RISKS) POLICY – DON'TS

- Do not fail to obtain Customer ID and Password for access to the database of ECGC.
- Do not fail to keep adequate premium in the Deposit Premium Account with ECGC to cover the premium due for services rendered in next month or quarter as the case may be.
- Do not fail to submit monthly declaration of services/invoice.
- Do not fail to declare all the services/invoice covered under the policy in the monthly declarations.
- Do not make any errors in value of the services / invoice, terms of payment, country etc. while declaring the services/invoice.
- Do not fail to obtain adequate credit limit on terms of payment as per the order placed by the buyer.
- Do not fail to obtain specific approval to shipments to Restricted Cover countries.
- Do not fail to check the list of buyers on whom ECGC has had adverse experience at the time of rendering services which is available on the web-site of ECGC.
- Do not fail to submit the report of overdue on or before 15th of every month, declaring the payments which are overdue for more than 30 days as at the end of previous month.
- Do not fail to get the bill noted and protested for non payment or non-acceptance in the buyer's country, as the case may be (excepting where this is not possible).

- Do not fail to engage a Debt Collection Agent/Arbitrator for recovery where it is advised by ECGC.
- Do not make offer any further services/increasing credit to the buyer who has defaulted until he has cleared all overdue payments.
- Do not fail to obtain prior approval of ECGC for extension in due date.
- Do not enter into a compromise agreement with the Buyer in respect of outstanding payments without the prior approval of ECGC.
- Do not fail to submit the documents listed in the claim form when the claim is filed. When in doubt do not hesitate to contact ECGC for clarifications.
- Do not fail to file the claim within the time stipulated under the policy.
- Do not fail to initiate recovery action against the buyer and share the recovery with ECGC, when effected.

